


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. A/3080

Jabalpur, dated 28.7.2016.

The copies of the Notifications of the Government of M.P. F.No.17(E)83/03/XXI-B(1)/2261/016-Bhopal, dated 28.7.2016 and F.No.17(E)83/03/XXI-B(1)/2261/2016, Bhopal, dated 28.7.2016 issued as per the provisions of Section 153(1) and 153(2) of the Electricity Act, 2003 forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Rajgarh, Badwani, Panna and Mandleshwar for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.


(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

गोपाल, दिनांक १६ जुलाई, 2016

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/2261/016, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 72 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
72.	राजगढ़	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।

NOTIFICATION

F.No. 17(F)83/03/21-B(1)/2261/016, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(F)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 72 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

11211

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1) 72.	(2) Rajgarh	(3) 11 th Additional Sessions Judge, Rajgarh	(4) All electricity area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at Serial number 73, 74 & 74-A)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुरार,

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1851/015. गोपाल, दिनांक 28/06/2016

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/2432/III-6-4/03-IX, दि. 17.06.16 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, गोपाल,
3. की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, उप नियंत्रक, शासन केंद्रीय मुद्रणालय, गोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रगारी, आय टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, गोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

२ (आर.के. वाघा) सचिव 27/7/16

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक २४ जुलाई, 2016

फा.क्रमांक. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/2261/2016, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9, 68, 72 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात् :

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	बड़वाणी	प्रथम अतिरिक्त रोशन न्यायाधीश, रोंधवा	कु. साधना माहेश्वरी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रोंधवा
68.	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, पन्ना	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सी.नि.) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, पन्ना
72.	राजगढ़	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	श्री ओम प्रकाश तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़
110.	गण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त रोशन न्यायाधीश, गण्डलेश्वर	श्री योगेश दत्त शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गण्डलेश्वर

NOTIFICATION

F.No. 17(F)83/03/21-B(one)/2261/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya.Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this

department's Notification F.No. 17(F)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial numbers 9, 68, 72 and 110 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
9.	Badwani	I st Additional Sessions Judge, Sendhwa	Ku. Sadhna Maheshwari, Additional Sessions Judge, Sendhwa
68.	Panna	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, Panna	Shri Prakash Chandra Gupta (Sr.), Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, Panna
72.	Rajgarh	II nd Additional Sessions Judge, Rajgarh	Shri Om Prakash Tiwari, II nd Additional Sessions Judge, Rajgarh
110.	Mandleshwar	I st Additional Sessions Judge, Mandleshwar	Shri Yogesh Dutt Shukla, I st Additional Sessions Judge, Mandleshwar."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//3//

फा.क्र. 17(इ)83/03/21 व(एक)/2261/2016, भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2016
प्रतिलिपि:

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/2432/III-6-4/03-IX, दिनांक 17.06.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन कर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रगारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


(आर.के.कौशिक) 27/7/16

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग